5A

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3, नरेगा)

क्रमांक प–4(4)ग्रावि / ग्रुप–3 / नरेगा / सा.अ. / 09 जयपुर, दिनांक 17 SEP 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषयः–नरेगा में आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंगः–इस विभाग के समसंख्यक पंत्राक एफ4(4)ग्रावि / नरेगा / ग्रुप–3 / सा.अ. / 09 दिनांक 20.04.2009

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध मे लेख है कि दिनांक 22.08.09 को इन्दिरा गांधी पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में हुये संवाद कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलो से आये स्वयं सेवी संगठनो के सदस्यों ने अवगत करवाया है कि इस विभाग के उपरोक्त समसंख्यक पत्र के निर्देशों की पालना राज्य मे किसी भी ग्राम पंचायत में नही की गई है। इन निर्देशो में वर्ष 2008–09 में नरेगा में कार्यरत परिवारो को उपलब्ध राशि, करवाये गये रोजगार के दिनों की संख्या, भुगतान की गई कुल राशि एवं किये गये नरेगा कार्यो का विवरण पंचायत / राजकीय भवन पर सहज दृष्ट्या या दीवार पर लिखवाया जाना था। राज्य सरकार [illegible] निर्देशों की पालना नहीं होना एक गंभीर चिंतन का विषय है। अगला संवाद कार्यक्रम दिनांक 24 व 26.09.09 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया जाना निश्चित किया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत ध्यान देकर अपने जिलें की समस्त ग्राम पंचायतों में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(4) ग्रावि / नरेगा / ग्रुप–3 / सा.अ. / 09 दिंनाक 20.04.09 की पालना दिनांक 15.09.09 तक करवाना सुनिश्चित करवायें ।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

D:\HEMRAJ\HEMRAJ\social Audit 1.doc